



2026:AHC:171781

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 10789 वर्ष 2025

श्रीमती जसमीत कौर भाटी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अजीत कुमार श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : आयुष अरोरा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. आवेदक- जसमीत कौर भाटी को वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2025 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 113 वर्ष 2025, धारा 131, 308(4), 308(7), 316(2), 329(3), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना कर्नल गंज, जिला कानपुर नगर में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. दूसरी ओर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। यह बताया गया है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक ने 20 लाख रुपये की मांग की थी।" 15,00,000/- रुपये की जबरन वसूली के आरोप में, हालांकि आवेदक और शिकायतकर्ता के बीच कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं हुआ था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और वह विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगी। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विवेचना में सहयोग करेगी तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगी।

5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त प्रकरण में आरोपित आवेदक श्रीमती जसमीत कौर भाटी को 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 30.1.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी;
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी;
 - (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगी और अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी;
 - (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।
7. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. इस प्रकरण की सुनवाई 30.1.2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध की जाए।
9. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सह-आरोपी शिफा अल्वी की अग्रिम जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 10816 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई है। आवेदक इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश के अनुसार नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रही है।

4. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रही है। हालांकि, उनका कहना है कि आवेदक मुख्य आरोपी है और उक्त सह-आरोपी, जिसे अग्रिम जमानत दी जा चुकी है, के समान उसे जमानत नहीं दी जा सकती है, और उसकी जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए।

5. इससे पहले, आवेदक को दिनांक 19.12.2025 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, और उक्त आदेश के अनुसार, आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रही है। आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, इसलिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त के मददेनजर, आवेदक को दिनांक 19.12.2025 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को **स्थायी** घोषित किया जाता है। आवेदक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2025 को पारित आदेश में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रहेगा।

7. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. दिनांक 19.12.2025 के आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

राधिका